4. No. of Vacant posts Position on 1.11.93

5 No. of posts

(B) Names of regular appointees surplus to the revised strength as on 1.11.93 gradewise!

1. Grade (A and B) merged

Names (in the order of seniority)

2 Grade 'C'

Names (in the order of seniority)

3 Grade 'D'

Names (in the order of seniority)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की पदोन्नति

7075. **श्री रामजी लाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आरक्षण को शासित करने वाले नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को सचिव स्तर के पद तक पदोन्नति दे रही है, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अवर सचिव से सचिव स्तर तक प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो किस स्तर के पद तक आरक्षण दिया जाता है;

(ग) उन विभागों कार्यालयों/विभागों के क्या नाम हैं जहां पर नियुक्तियां कार्मिक मंत्रालय/संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने की बजाय सीधे तौर पर की जाती है;

(घ) क्या ऐसे विभाग पदोन्नतियों में भी आरक्षण विनियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं; यदि, हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या हैं जहां आरक्षण के तहत अवर सचिव के पदों के लिये पदोन्नति दी गई थी ; और

(ङ) क्या यह सच है कि सभी स्वायत्त शासी निकायों में सभी कनिष्ठ अधिकारियों को अवर सचिव नहीं बनाया जाता है; यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में परिवर्तन लाने के लिये क्या अनुदेश जारी किये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती **मारग्रेट आल्वा**) : (क) और (ख) पिछड़ी जातियों के लिये पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में पदोन्नति में आरक्षण, अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत की दर से तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से उपलब्ध है, सिवाय उन मामलों के जहां समूह "क" के भीतर पदोन्नति चयन द्वारा और समूह "क" में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है । चूंकि केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पद पर पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है, इसलिये ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है । तथापि, केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के लिये आरक्षण उपलब्ध है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के अन्तर्गत सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है जब तक कि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 320(3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम के अधीन उपबंधों से विशेष रूप से छूट न दी गई हो। सांविधिक कार्यालयों के संबंध में नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यदि ऐसे सांविधिक निकायों में भर्ती को शासित करने वाले अधिनियमों/नियमों में इस आशय के विशिष्ट प्रावधान हैं । सांविधिक निकायों में आरक्षण तथा भर्ती के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) स्वायत्त निकायों में कनिष्ठ अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में पदोन्नति विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्वायत्त निकाय में अवर सचिव के पद का विद्यमान होना संगत भर्ती नियमों/विनियमों का प्रावधान, रिक्तियों की उपलब्धता, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा यथा मूल्यांकित उम्मीदवारों का उपयुक्तता आदि ।

Counting of service rendered in Central Public Secotr Undertakings

7076. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the hardships being faced by many employees working in Central Government and Central Autonomous organisations for not counting their service rendered in Central Public Sector Undertakings;

(b) if so, the steps taken to mitigate their hardships;

(c) whether the service rendered in an organisation for less than five years could be counted for pension without paying leave salary and pension contribution by the parent organisation where the rules of the organisation do not provide for payment of leave salary and pension contribution; and

(d) if so, whether Government have issued or propose to issue instructions in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No, Sir. The rules do not provide for counting of service in case of mobility of employees from a Central Public Sector Undertaking to Central Government/Central Autonomous organisations and vice-versa for the purpose of pension. The employees of the Central Public Sector Undertakings on their appointment under Central Government/Central Autonomous organisations are entitled to retirement benefits as per the rules of the Public Secotr udertaking. The qualifying service for pensionary benefits commences from the date such former employees of PSUs take up regular appointment in the Central Government/Central Autonomous organisations.

(b) to (d) Does not arise.

जातियों/समुदायों का सत्यापन करने के लिए प्रमाण पत्र

7077. **श्री जनार्दन यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये अन्य पिछड़ी श्रेणियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जातियों/समदायों का सत्यापन करने के लिये प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को अनुदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में पुनः दिनांक 15 नवम्बर, 1993 को जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यह उपलबंध रखा गया है कि उपयुक्त प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का उपबंध रखने के क्या कारण हैं तथा क्या इस प्रकार का उपबंध अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने पर लागू है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां । सभी मंत्रालयों विभागों को संबोधित कार्यालय ज्ञापन में जाति/समदाय प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया था । ये प्राधिकारी वहीं हैं जो अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित किये गये हैं ।